किस्सा किसान कानून का

सोरित गुप्तो

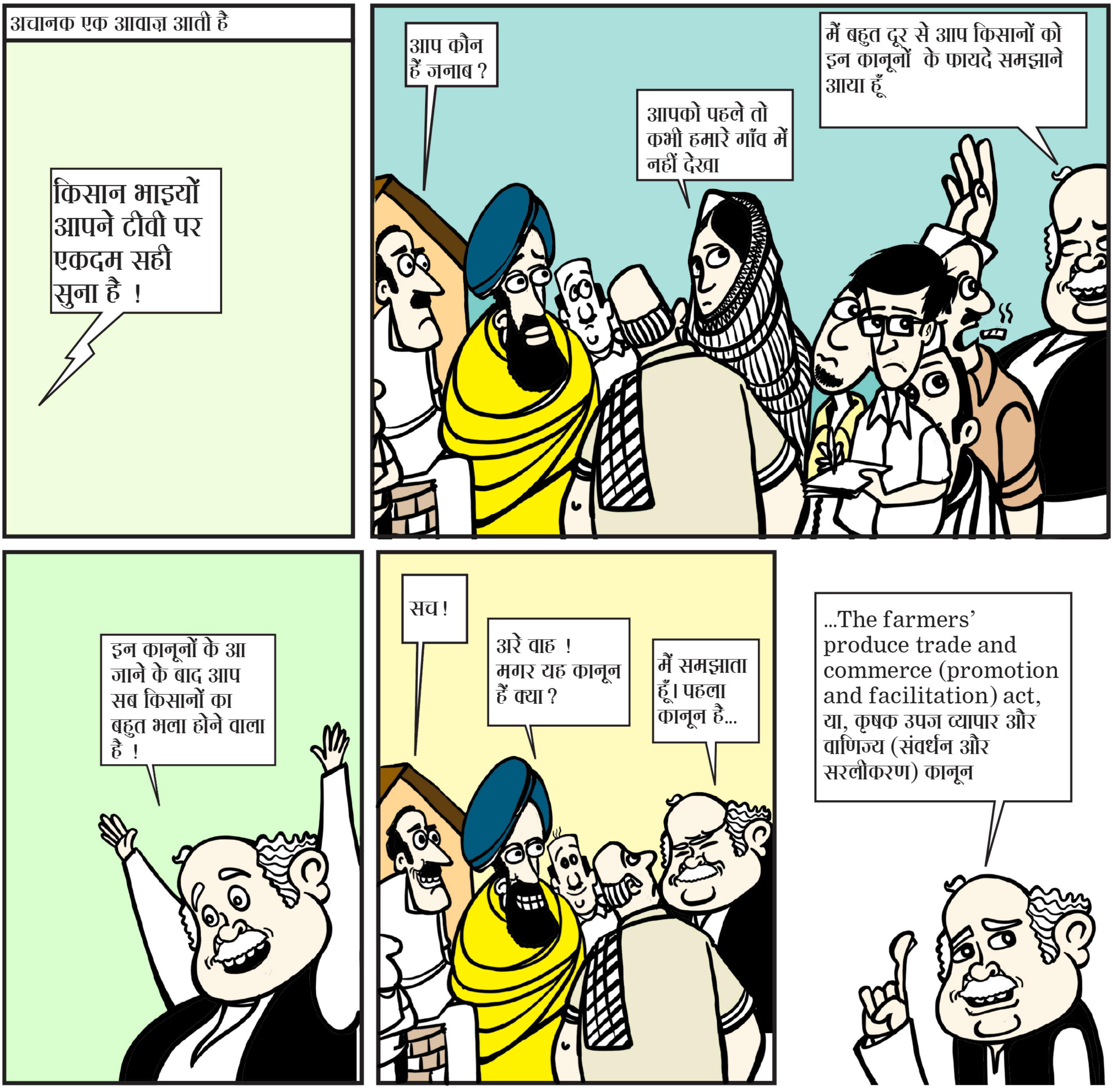

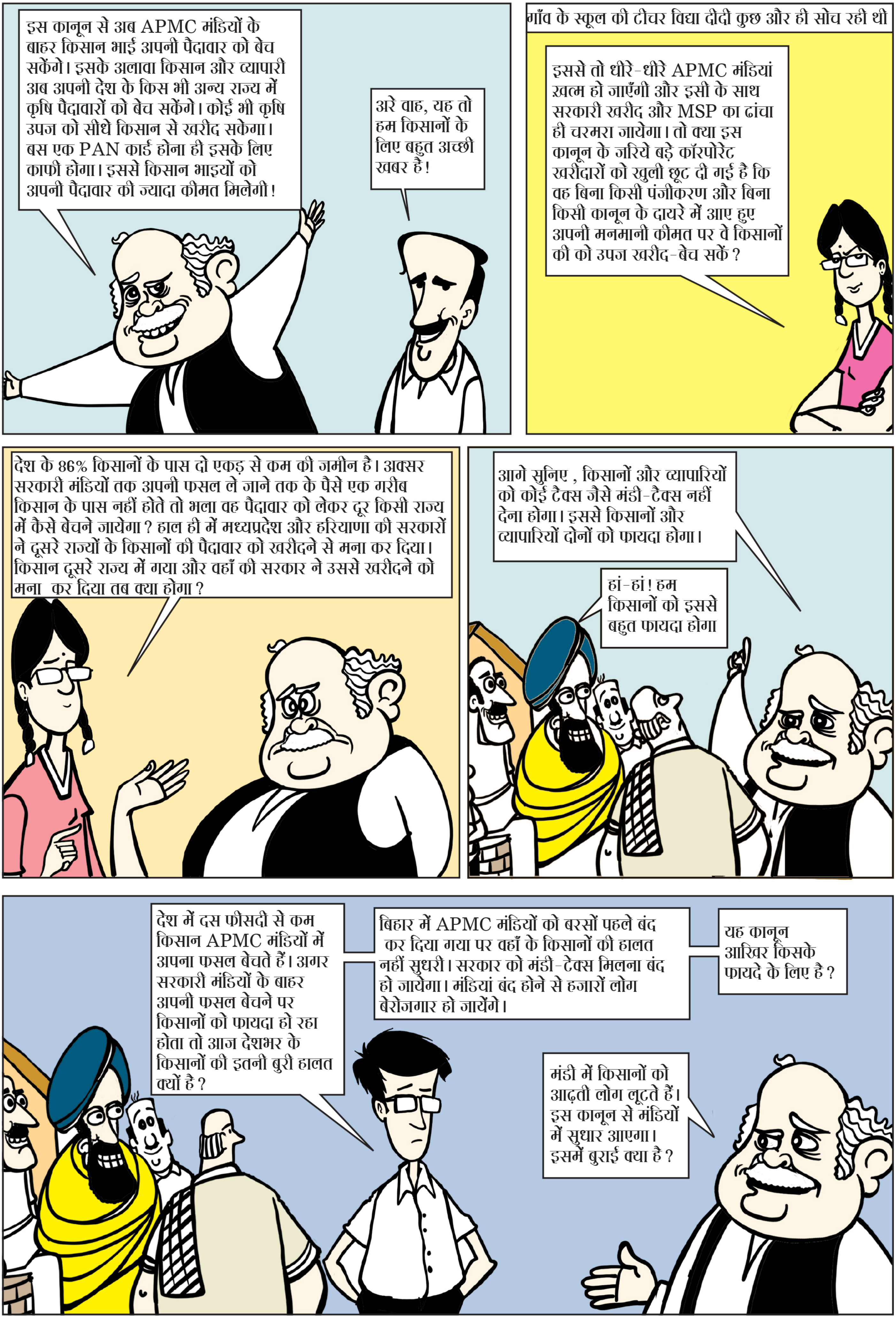
इस कानून से अब APMC मंडियों के बाहर किसान भाई अपनी पैदावार को बेच सकेंगे। इसके अलावा किसान और व्यापारी अब अपनी देश के किस भी अन्य राज्य में कृषि पैदावारों को बेच सकेंगे। कोई भी कृषि उपज को सीधे किसान से खरीद सकेगा। बस एक PAN कार्ड होना ही इसके लिए काफी होगा। इससे किसान भाइयों को अपनी पैदावार की ज्यादा कीमत मिलेगी!
अरे वाह, यह तो हम किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है!
गाँव के स्कूल की टीचर विद्या दीदी कुछ और ही सोच रही थी
इससे तो धीरे-धीरे APMC मंडियां ख़त्म हो जाएँगी और इसी के साथ सरकारी खरीद और MSP का ढांचा ही चरमरा जायेगा। तो क्या इस कानून के जरिये बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है कि वह बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए अपनी मनमानी कीमत पर वे किसानों की को उपज खरीद-बेच सकें?
देश के 86% किसानों के पास दो एकड़ से कम की जमीन है। अक्सर सरकारी मंडियों तक अपनी फसल ले जाने तक के पैसे एक गरीब किसान के पास नहीं होते तो भला वह पैदावार को लेकर दूर किसी राज्य में कैसे बेचने जायेगा? हाल ही में मध्यप्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने दूसरे राज्यों के किसानों की पैदावार को खरीदने से मना कर दिया। किसान दूसरे राज्य में गया और वहाँ की सरकार ने उससे खरीदने को मना कर दिया तब क्या होगा?
आगे सुनिए, किसानों और व्यापारियों को कोई टैक्स जैसे मंडी-टैक्स नहीं देना होगा। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा।
हां-हां! हम किसानों को इससे बहुत फायदा होगा
देश में दस फीसदी से कम किसान APMC मंडियों में अपना फसल बेचते हैं। अगर सरकारी मंडियों के बाहर अपनी फसल बेचने पर किसानों को फायदा हो रहा होता तो आज देशभर के किसानों की इतनी बुरी हालत क्यों है?
बिहार में APMC मंडियों को बरसों पहले बंद कर दिया गया पर वहाँ के किसानों की हालत नहीं सुधरी। सरकार को मंडी-टैक्स मिलना बंद हो जायेगा। मंडियां बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।
यह कानून आखिर किसके फायदे के लिए है?
मंडी में किसानों को आढ़ती लोग लूटते हैं। इस कानून से मंडियों में सुधार आएगा। इसमें बुराई क्या है?

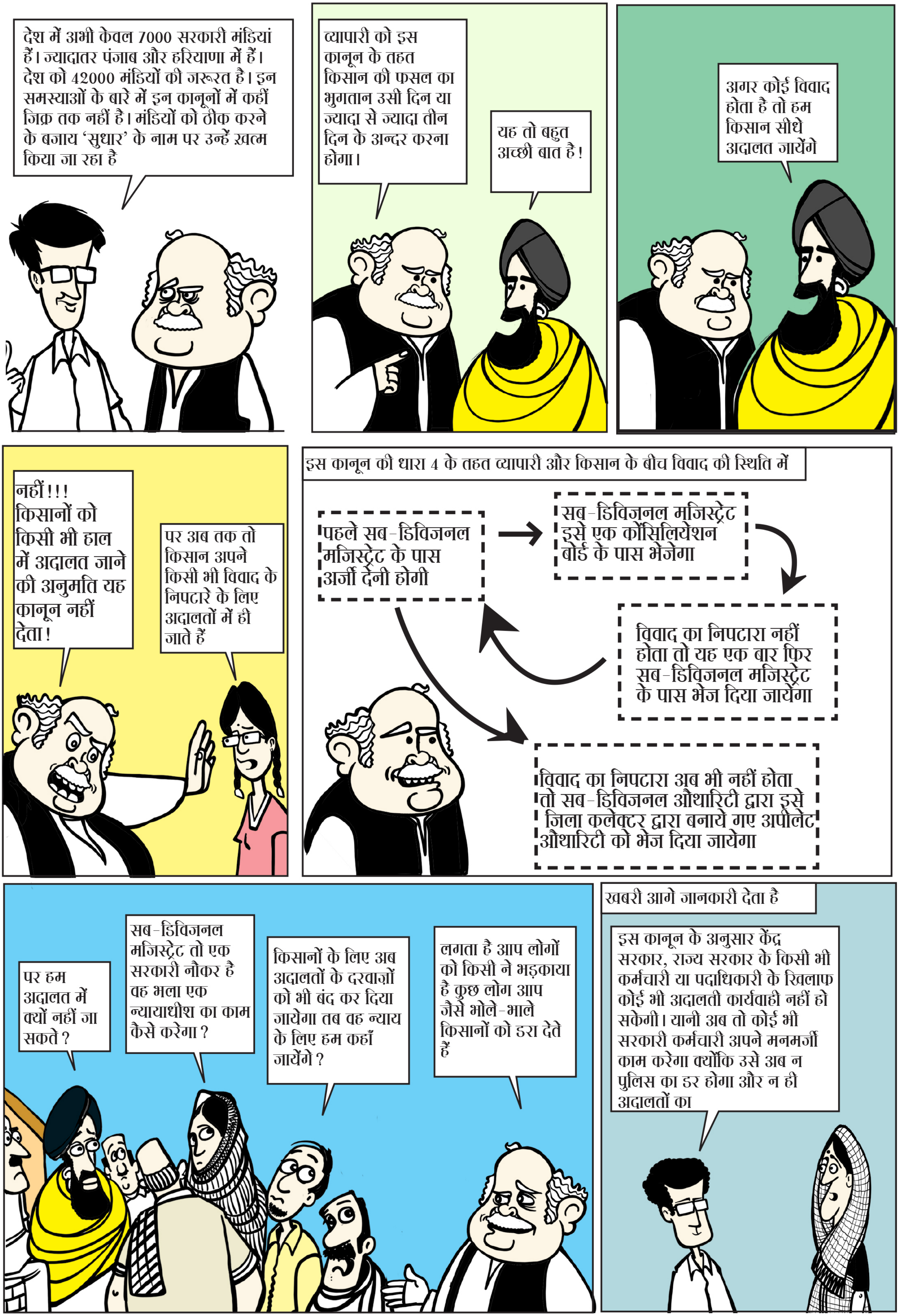

देश में अभी केवल 7000 सरकारी मंडियां हैं। ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में हैं। देश को 42000 मंडियों की जरूरत है। इन समस्याओं के बारे में इन कानूनों में कहीं जिक्र तक नहीं है। मंडियों को ठीक करने के बजाय 'सुधार' के नाम पर उन्हें ख़त्म किया जा रहा है
व्यापारी को इस कानून के तहत किसान की फसल का भुगतान उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा तीन दिन के अन्दर करना होगा।
यह तो बहुत अच्छी बात है!
अगर कोई विवाद होता है तो हम किसान सीधे अदालत जायेंगे
नहीं!!! किसानों को किसी भी हाल में अदालत जाने की अनुमति यह कानून नहीं देता!
पर अब तक तो किसान अपने किसी भी विवाद के निपटारे के लिए अदालतों में ही जाते हैं
इस कानून की धारा 4 के तहत व्यापारी और किसान के बीच विवाद की स्थिति में
पहले सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास अर्जी देनी होगी
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट इसे एक कॉंसिलियेशन बोर्ड के पास भेजेगा
विवाद का निपटारा नहीं होता तो यह एक बार फिर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जायेगा
विवाद का निपटारा अब भी नहीं होता तो सब-डिविजनल ऑथारिटी द्वारा इसे जिला कलेक्टर द्वारा बनाये गए अपीलेट ऑथारिटी को भेज दिया जायेगा
पर हम अदालत में क्यों नहीं जा सकते?
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट तो एक सरकारी नौकर है वह भला एक न्यायाधीश का काम कैसे करेगा?
किसानों के लिए अब अदालतों के दरवाज़ों को भी बंद कर दिया जायेगा तब वह न्याय के लिए हम कहाँ जायेंगे?
लगता है आप लोगों को किसी ने भड़काया है कुछ लोग आप जैसे भोले-भाले किसानों को डरा देते हैं
खबरी आगे जानकारी देता है
इस कानून के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी के खिलाफ कोई भी अदालती कार्यवाही नहीं हो सकेगी। यानी अब तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने मनमर्जी काम करेगा क्योंकि उसे अब न पुलिस का डर होगा और न ही अदालतों का

दूसरा कानून है The farmers (empowerment and protec-tion) agreement on price assurance and farm services act, 2020 या कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार कानून , 2020
इसमें आप की जमीन को एक कंपनी किराये पर लेगी और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगी
इससे किसान निजी कंपनियों के साथ मिलकर ठेका-खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे
यानी हम अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जायेंगे ?
यह तो किसानों के लिए बहुत बुरी खबर है
यह बहुत आसान और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक कंपनी किसी किसान साथ एक फसल के बारे में लिखित समझौता कर सकती है
लिखित! पर हम ठहरे अनपढ़ किसान। हम तो आपस में जुबानी समझौतों पर काम करते आये हैं...
हमें कानूनी दांव-पेंच से बहुत डर लगता है। कानून तो अंग्रेजी में लिखे होते हैं
इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। यह तो बहुत आसान और किसानो के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फसल की क्वालिटी और ग्रेड की देखरेख करने के लिए एक थर्ड-पार्टी की सेवा ली जा सकती है
यहाँ यह नहीं बताया जा रहा है कि वह थर्ड-पार्टी कौन होगा ?
यह तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसी है। कुछ गड़बड़ होने पर क्या हम किसान अदालत जा सकते हैं ?
नहीं ! कभी नहीं !!!
इस कानून की धारा 13/1 के अनुसार अगर व्यापारी और किसान के बीच कोई विवाद होता है तब ...

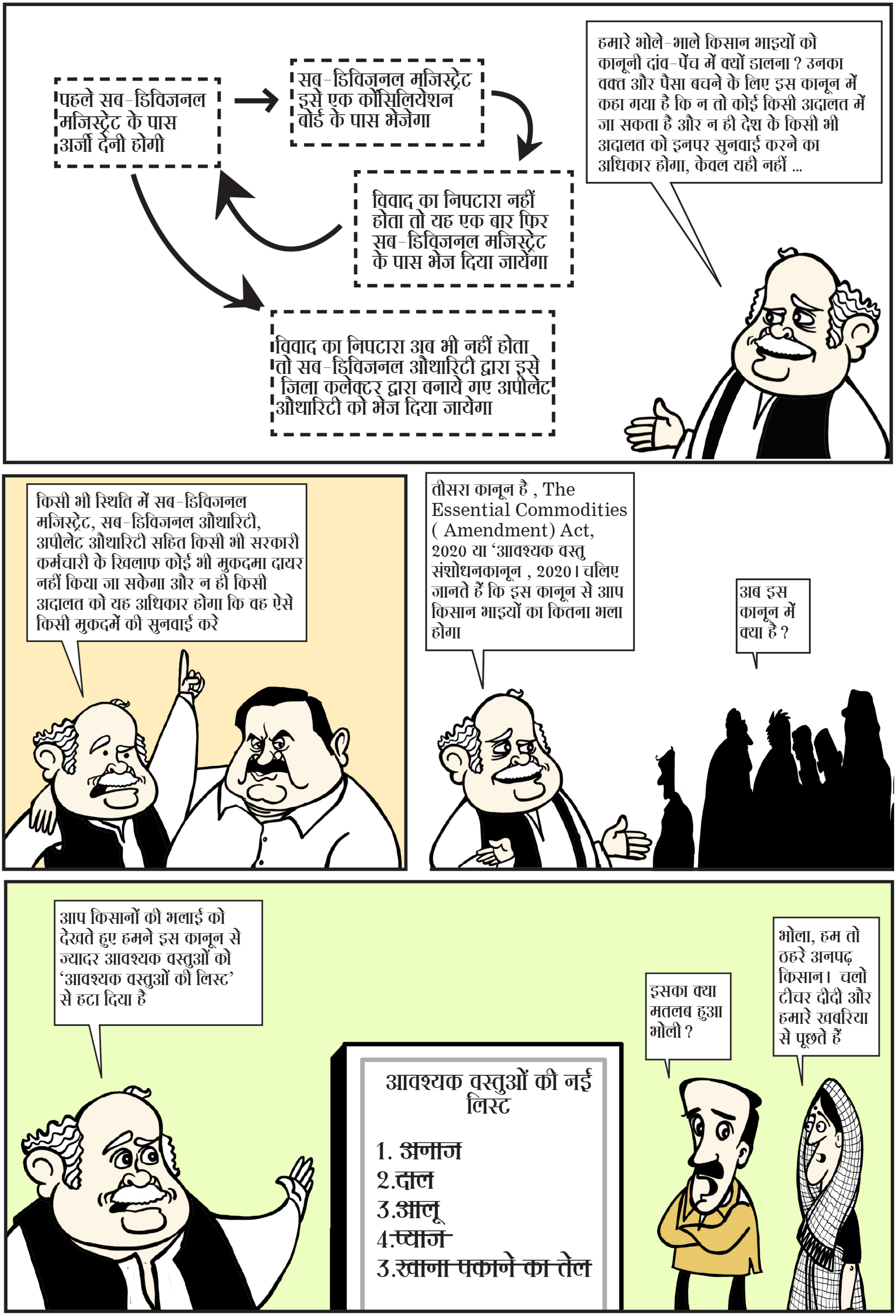
हमारे भोले-भाले किसान भाइयों को कानूनी दांव-पेंच में क्यों डालना ? उनका वक्त और पैसा बचने के लिए इस कानून में कहा गया है कि न तो कोई किसी अदालत में जा सकता है और न ही देश के किसी भी अदालत को इनपर सुनवाई करने का अधिकार होगा, केवल यही नहीं ...
पहले सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास अर्जी देनी होगी
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट इसे एक कोंसिलियेशन बोर्ड के पास भेजेगा
विवाद का निपटारा नहीं होता तो यह एक बार फिर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जायेगा
विवाद का निपटारा अब भी नहीं होता तो सब-डिविजनल औथारिटी द्वारा इसे जिला कलेक्टर द्वारा बनाये गए अपीलेट औथारिटी को भेज दिया जायेगा
किसी भी स्थिति में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल औथारिटी, अपीलेट औथारिटी सहित किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकेगा और न ही किसी अदालत को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे किसी मुकदमें की सुनवाई करे
तीसरा कानून है , The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 या 'आवश्यक वस्तु संशोधनकानून , 2020। चलिए जानते हैं कि इस कानून से आप किसान भाइयों का कितना भला होगा
अब इस कानून में क्या है ?
आप किसानों की भलाई को देखते हुए हमने इस कानून से ज्यादर आवश्यक वस्तुओं को 'आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट' से हटा दिया है
आवश्यक वस्तुओं की नई लिस्ट
1. ~~अनाज~~
2.~~दाल~~
3.~~आलू~~
4.~~प्याज~~
3.~~खाना पकाने का तेल~~
इसका क्या मतलब हुआ भोली ?
भोला, हम तो ठहरे अनपढ़ किसान। चलो टीचर दीदी और हमारे खबरिया से पूछते हैं

दोनों पहुँचते हैं खबरिया के पास जो स्वतन्त्र पत्रकार है। वहीं उन्हें टीचर दीदी भी मिल जातीं हैं।
चाची इस कानून से आने वाले दिनों में जमाखोरों की चांदी हो जाएगी और आम नागरिक को महंगाई की मार को झेलना पड़ेगा
इसके साथ महंगाई कैसे बढ़ेगी टीचर दीदी ?
काका जब देश आज़ाद हुआ उस समय हम बहुत गरीब थे। लोगों को खाने को नहीं मिलता था क्योंकि सेठ-साहूकार और व्यापारी लोग गेहूं-चावल-आलू-प्याज को अपने बड़े बड़े गोदामों में जमा कर लेते और बाद में उसे ऊंची कीमतों पर बेचते थे। बेचारी गरीब जनता का हाल बहुत बुरा था

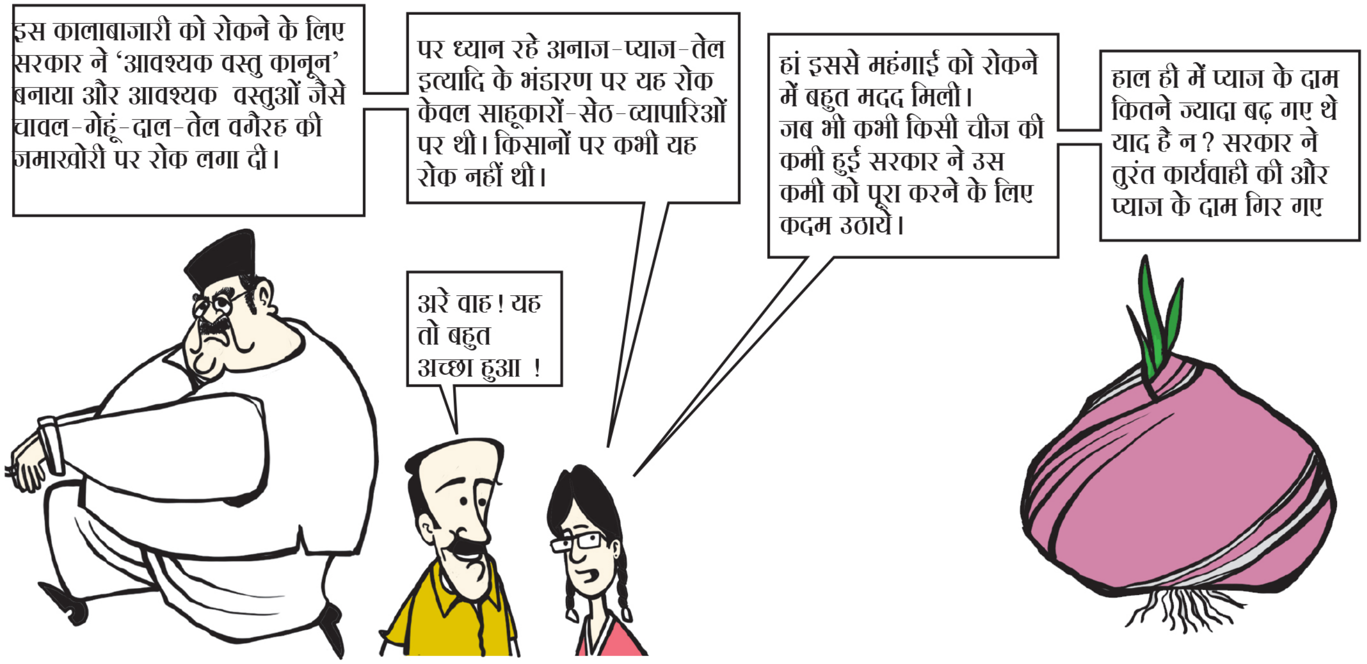
इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने 'आवश्यक वस्तु कानून' बनाया और आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल-गेहूं-दाल-तेल वगैरह की जमाखोरी पर रोक लगा दी।
पर ध्यान रहे अनाज-प्याज-तेल इत्यादि के भंडारण पर यह रोक केवल साहूकारों-सेठ-व्यापारिओं पर थी। किसानों पर कभी यह रोक नहीं थी।
हां इससे महंगाई को रोकने में बहुत मदद मिली। जब भी कभी किसी चीज की कमी हुई सरकार ने उस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाये।
हाल ही में प्याज के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए थे याद है न ? सरकार ने तुरंत कार्यवाही की और प्याज के दाम गिर गए
अरे वाह ! यह तो बहुत अच्छा हुआ !

पर अब सरकार ने इस कानून को बदल दिया है। आवश्यक वस्तुओं के लिस्ट से ज्यादातर चीजों को जैसे अनाज,आलू,प्याज, तेल को हटा दिया है। अब कोई सेठ-साहूकार जितनी मर्जी खरीद कर इकठ्ठी कर सकेगा
जब बाजार में किल्लत होगी तब उसे अपनी मनचाहे दाम में बेच कर खूब मुनाफा कमाएगा
पर दीदी यह तो कालाबाजारी और जमाखोरी हुई। यह तो गैरकानूनी और गलत बात है
काका, जमाखोरी और कालाबाजारी अबतक गैरकानूनी था पर इस कानून के बाद अब जमाखोरी और कालाबाजारी गैरकानूनी नहीं रही
आलू
प्याज
अनाज
तेल

बाजार अपना भला -बुरा खुद अच्छी तरह जानता है। इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है
दीदी, देश का आम नागरिक आज पहले से ही महंगाई की मार से बेहाल है। अब जमाखोरों और कालाबाजारिओं को खुली छूट मिल जाएगी महंगाई तो कई गुना बढ़ जाएगी। हम खायेंगे क्या?
काका सच तो यह है कि इस कानून के बाद हमारा देश अब खाद्य के मामले में सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या पता कल एक बार फिर से अकाल पड़े और पुराने दिनों की तरह हजारों-लाखों लोग भूख से तड़प-तड़प कर मर जायें...
तो क्या अब सरकार कभी भी जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कार्यवाही नहीं करेगी?
इसके बारे में श्रीमान जी ही हमें समझा सकेंगे
अरे भोली तुम क्यों घबरा रही हो? इस कानून के 1A/a में लिखा है कि युद्ध, अकाल और कीमतों के बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर सरकार जरूर दखल देगी। केवल यही नहीं...
...इस कानून के 1A/b में लिखा है अगर बागवानी-उत्पादों की कीमतें दोगुनी हो जाती हैं या जल्दी खराब न होने वाले चीजों के दामों में डेढ़ गुने या उससे ज्यादा की वृध्दि होती है तब भण्डारण पर सरकार रोक लगाएगी
उम्मीद है आपको अब किसान कानूनों के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा
हम बिलकुल समझ गए श्रीमान। भले ही इन कानूनों के बाद हम अपनी ही जमीन में बंधुआ मजदूर बन जाएँ
भले ही महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाय
भले ही हम भूखे मरें और कर्ज के बोझ में दब जायें
पर इन कानूनों से हम किसानों को बहुत फायदा होगा
समाप्त